न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

गजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :108/2026

अन्तर्गत धारा :– 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2026	प्रार्थी गजेन्द्रसिंह ग्राम खाराबेरा तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी के खसरा संख्या 434/3, 379, 421, 377 की भूमि के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थी का नाम गजेसिंह दर्ज हो गया है, जिसे सहीं नाम गजेन्द्रसिंह किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लूणी को जांच लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक भू.अ./2026/1650 दिनांक 07.05.2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी के खसरा संख्या 434/3, 379, 421, 377 के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थी नाम गजेसिंह पुत्र राजुसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित पुत्र राजुसिंह किये जाने की अनुशंषा की गई। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नाम दुरूस्ती हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है ग्राम खाराबेरापुरोहितान तहसील लूणी के खसरा संख्या 434/3, 379, 421, .377 की भूमि के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थी का नाम गजेसिंह पुत्र राजुसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित पुत्र राजुसिंह जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार आर. ए. एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	